अर्हता तिथि 01.11.2022 के आधार पर बिहार बिधान परिषद् के कोशी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचन सूची की तैयारी के क्रम में दिनांक 01.10.2022 को आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया –सह– निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, कोशी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की अध्यक्षता में आयोजित बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति :–**पंजी के अनुसार।**

सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के अध्यक्ष/सचिव का परिचय प्राप्त किया गया। इसके पश्चात् उपस्थित सभी राजनैतिक दलों के अध्यक्षों/सचिवों को अर्हता तिथि 01.11.2022 के आधार पर बिहार विधान परिषद् के कोशी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक सूची की तैयारी के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार से प्राप्त मार्गदर्शन एवं निदेशों की जानकारी दी गई।

भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली से प्राप्त कार्यक्रम के अनुसार कोशी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक सूची की तैयारी हेतु आज दिनांक 01.10.2022 को दैनिक समाचार पत्रों में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 31(3) के तहत् प्रकाशित सार्वजनिक सूचना (Public Notice) की जानकारी दी गई।

आयुक्त महोदय द्वारा उपस्थित सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को सूचित किया गया कि इस सूचना का पुनर्प्रकाशन दैनिक समाचार पत्रों में दिनांक 15.10.2022 एवं 25.10.2022 को किया जाएगा। कोशी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक सूची में नाम सम्मिलित कराने हेतु सभी अर्हता पूरी करने वाले शिक्षक जो माध्यमिक विद्यालय से कम न हो, में शिक्षण कार्य कर रहे है, का दावा **प्रपत्र–19** में **दिनांक 01.10.2022 से 07.11.2022** तक प्राप्त किया जाएगा। जिसका प्रारूप प्रकाशन **दिनांक 23.11.2022** को किया जायेगा।

निर्वाचक सूची के प्रारूप प्रकाशन के संबंध में दावा–आपत्ति दिनांक 23.11.2022 से 09.12.2022 तक लिया जाएगा। निर्वाचक सूची का अंतिम प्रकाशन **दिनांक 30.12.2022** को किया जाएगा।

कोशी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक सूची की तैयारी हेतु भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली से प्राप्त कार्यक्रम एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र हेतु मतदाता बनने की अर्हता एवं पात्रता के बारे में बताया गया एवं साथ ही इस निर्वाचक सूची में नाम सम्मिलित कराने हेतु सामान्य नियमों एवं अन्य महत्त्वपूर्ण बिन्दुओं पर चर्चा की गई।

बैठक में उपस्थित सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को कोशी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक सूची की तैयारी से संबंधित निम्न महत्त्वपूर्ण अनुदेशों से भी अवगत कराया गया :–

1. कोशी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक सूची नये सिरे से (De – novo) तैयार की जाएगी।

2. किसी व्यक्ति को शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में पंजीकृत होने के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना आवश्यक है :–

(i) वह व्यक्ति उस शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का सामान्य रूप से निवासी होना चाहिए।

(ii) अर्हक तिथि से तत्काल पहले छह वर्षों के भीतर, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 27 की उप धारा (3) के खंड (ख) के अधीन विनिर्दिष्ट राज्य के शैक्षणिक संस्थान में, भारत निर्वाचन आयोग की सहमति से संबंधित राज्य सरकार के ऐसे शैक्षणिक संस्थान जिसका स्तर माध्यमिक विद्यालय से कम न हो, में शिक्षण कार्य में कम से कम कुल तीन वर्ष की अवधि से कार्यरत होना चाहिये।

3. शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक सूची में शामिल होने के लिए आवेदक को Form-19 में अपेक्षित दस्तावेज/प्रमाण पत्र के साथ आवेदन समर्पित करना है।

4. यह आवेदन पत्र संबंधित निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी/सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी/पदाभिहित पदाधिकारी के समक्ष जमा किया जायेगा।

5. Form-19 के साथ जब कोई आवेदक आवेदन देता है तो जाँच लेना है कि आवेदक सामान्यतया वहाँ का निवासी है अथवा नहीं। आवेदक को Form-19 के साथ पिछले 6 वर्ष में 3 वर्ष तक शिक्षण का Documentary proof संलग्न करना है।

6. शिक्षण संस्थान के प्रमुख द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र शिक्षण अर्हता के लिए पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य माना जाना चाहिये। यह प्रमाण पत्र अनुबंध–2 में दिया जाना होगा।

7. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि कोई व्यक्ति जिसने शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में अपना नाम सम्मिलित कराने के लिए आवेदन दिया है तथा वह 6 वर्षों में एक से अधिक शिक्षण संस्थाओं में शिक्षण का कार्य किया हो, तो ऐसी प्रत्येक शिक्षण संस्था के प्रमुख से उस अवधि का प्रमाण पत्र लेना अपेक्षित होगा।

8. यह मायने नहीं रखता है कि आवेदक Regular Basis पर कार्य किया है। शिक्षक का नियोजन Full Time Basis पर होना चाहिये न कि Part Time Basis पर।

9. यह आवश्यक नहीं है कि वह शैक्षणिक संस्थान भी उसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में आती हो, जिसमें पात्र निर्वाचक नियुक्त है। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में नामांकित की जाने वाली पात्रता का निर्धारण आवेदक के सामान्य निवास के आधार पर किया जाना चाहिये न कि उसके कार्यस्थल के आधार पर।

10. थोक आवेदन पत्र प्राप्त किया जाना अनुमान्य नहीं है, हालांकि शैक्षणिक संस्थानों के प्रमुख अपने सभी योग्य कर्मियों के आवेदन पत्र एक साथ भेज सकते हैं।

11. इसी प्रकार कोई व्यक्ति एक समान पते पर रहने वाले अपने परिवार के सदस्यों के बारे में प्ररूप–19 भी प्रस्तुत कर सकता है और ऐसे प्रत्येक सदस्य के मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करके प्रमाण पत्रों को सत्यापित करवा सकता है।

उपस्थित राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को निर्वाचक सूची की तैयारी से संबंधित भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली से प्राप्त महत्त्वपूर्ण अनुदेश, मतदाता सूची की तैयारी का कार्यक्रम, प्ररूप–19 की प्रति, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की सूची एवं निर्वाचक सूची की तैयारी से संबंधित निर्गत सार्वजनिक सूचना की प्रति दी गई।

उपस्थित सभी राजनैतिक दलों की प्रतिनिधियों से यह अनुरोध किया गया कि वे अपने स्तर से इस निर्वाचक सूची की तैयारी हेतु व्यापक प्रचार–प्रसार करेंगे ताकि सभी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में कार्यरत सभी अर्हता एवं पात्रता प्राप्त शिक्षकों को इसकी जानकारी हो सके एवं वे निर्वाचक सूची में अपना नाम शामिल कराने हेतु प्ररूप–19 में दावा अपेक्षित प्रमाण पत्रों के साथ समर्पित कर सकें।

अन्त में बैठक में उपस्थित सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों का आभार व्यक्त करते हुए बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह0/-
आयुक्त
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया,
–सह–
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी,
कोशी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र।

ज्ञापांक......................./दिनांक...................................

प्रतिलिपि :– सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, कोशी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र –सह– जिला पदाधिकारी, पूर्णिया/कटिहार/अररिया/किशनगंज/सहरसा/सुपौल/मधेपुरा/खगड़िया/भागलपुर/मुंगेर/जमुई/बांका/लखीसराय/शेखपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, कोशी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र –सह– उप निदेशक कल्याण, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

ह0/-
आयुक्त
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया,
–सह–
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी,
कोशी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र।

ज्ञापांक 3703 / दिनांक 01/10/2022

प्रतिलिपि :— उप निर्वाचक पदाधिकारी, कोशी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र पूर्णिया / कटिहार / अररिया / किशनगंज / सहरसा / सुपौल / मधेपुरा / खगड़िया / भागलपुर / मुंगेर / जमुई / बांका / लखीसराय / शेखपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1/10/22

आयुक्त

पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया,

—सह—

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी,

कोशी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र।